न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2018 **दायर दिनांकः 29.01.2018**

उनवान

1. बाबूलाल आयु 66 वर्ष पुत्र मल्लू जाति गुर्जर निवासी किशनपुरा पोस्ट रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. मेघराज आयु 34 वर्ष पुत्र बाबूलाल
2. मुकेश आयु 30 वर्ष पुत्र बाबूलाल जातियान गुर्जर निवासीगण किशनपुरा पोस्ट रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भरण पोषण अधिनियम 2007

उपस्थितिः—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनांक 17.06.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम 2007 इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ग्राम किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 का रहने वाला है। जिसको प्रार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताडित किया जा रहा है/घर से निष्कासित कर दिया है। जिससे प्रार्थी का जीवन —यापन करना मुश्किल हो गया है। इसलिए प्रार्थी को प्रतिमाह भरण—पोषण राशि 5000/— दिलाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के ग्राम बहलावन में 1 1/2 बीघा आराजी खाते दर्ज है जिस पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है तथा प्रार्थी को 2 माह पूर्व घर से भगा दिया। प्रार्थी गांव में किराये से रहता है।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को तलब कर, भरण पोषण राशि दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये नोटिस की गई, अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई, अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को प्रताडित कर घर से निष्कासित करदिया गया है। प्रार्थी की ग्राम

बहलावन की 1 1/2 बीघा आराजी खाते दर्ज है। जिस पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है। प्रार्थी गांव में किराये के मकान में रह रहा है। जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी वृद्ध है। अन्य कोई काम धन्धा नही कर सकता अप्रार्थीगण से प्रार्थी को भरण–पोषण राशि 5000/– रूपये दिलवाये जाने के आदेश फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी अप्रार्थी पिता पुत्र है। प्रार्थी को घर से निकाल कर प्रार्थी के खाते की भूमि पर कब्जा कर लिया है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थी को प्रतिमाह 1 से 5 तारीख को मध्य 2000–2000 कुल 4000 रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि प्रार्थी को उपलब्ध करावें।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.07.23 13:18:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: